न्यायालय श्रीमान् राजस्व बोर्ड मण्डल ग्वालियर म0प्र0 केम्प सागर म0प्र0

खिलावन तनय श्री खुर्रा कुम्हार आयु 64 साल
निवासी ग्राम ककरवाहा थाना बड़ा गॉव
तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0 —————— अपीलार्थी

विरूद्ध

म0प्र0 शासन —————— प्रतिअपीलार्थी

अपील अंतर्गत धारा 44 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

न्यायालय श्रीमान् अपर कमिश्नर महोदय सागर के प्रकरण कमांक 42/अपील /बी/121/16–17 में आदेश दिनांक 1–6–2017 से परिवेदित होकर ।

महोदय,

अपील का संक्षिप्त विवरण

अपीलार्थी द्वारा एक अपील श्रीमान् अपर कमिश्नर महोदय सागर के न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 12–09–2016 से परिवेदित होकर जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के न्यायालय में एक आवेदन धारा 165(6) म0प्र0भू0रा0संहिता का प्रस्तुत किया था जिसमें उल्लेखित किया गया था। आवेदक खिलावन वल्द खुर्रा कुम्हार निवासी ककरवाहा द्वारा भूमि खसरा नंबर 153/10 रकवा 2.23 हेक्टे0 स्थित ग्राम वीर नगर पटवारी हल्का भैंसवाही राजस्व निरीक्षक मंडल बड़ा गॉव धसान की पट्टे की भूमि के विकय के लिये निवेदन किया गया था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 12–9–2016 को अपीलार्थी का आवेदन निरस्त कर दिया गया था। जिससे परिवेदित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अपर कमिश्नर सागर महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत की थी किंतु अधीनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर महोदय सागर द्वारा प्रकरण के सारवान तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलार्थी की अपील निरस्त कर आदेश दिनांक 1–6–2017 पारित किया है। जिससे विचलित होकर श्रीमान् के न्यायालय में सवल आधारों पर अपील प्रस्तुत है।

अपील के आधार

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर महोदय सागर के आदेश दिनांक 1–6–2017 की सत्यप्रतिलिपि अपील के साथ संलग्न की जा रही है। अपील समय सीमा में

/2/

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक I / अपील / टीकमगढ़ / भू0रा0 / 2017 / 3617

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–8–2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित। पूर्व में आवेदक एवं उनके अभिभाषक को तीन बार अवसर प्रदान किया गया परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक शासकीय अभिभाषक उपस्थित। आवेदक एवं उनके अभिभाषक की तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे0के0 जैन) सदस्य	